

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक:- सम्बद्धता/ 1219
दिनांक:- 25.09.2003

सचिव,
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन,
178, मेन जी०टी० रोड,
साहिबाबाद।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 1825/ओ.एस.डी./जी०एस० दिनांक 21.08.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन आई०एम०ई०, साहिबाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत एम०काम० पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2003 से उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव

- प्रतिलिपि:-
1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ।
 2. प्रभारी कर्मैटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव